भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1856

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है ।

13 श्रावण, 1945 (शक)

ऑनलाइन गंमिंग उद्योग से राजस्व

1856. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से राजस्व सृजित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो परिकल्पित विभिन्न राजस्व स्त्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर उच्च कर होने से राजस्व में कमी की संभावना का अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने वाले राज्य और केन्द्रीय कानूनों के बीच क्षेत्राधिकार की सीमा संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2019 से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और उसमें निवेश, प्रत्यक्ष उद्योग राजस्व, इन-ऐप की खरीद और अन्य राजस्वों के माध्यम से सृजित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ): वर्ष 2026 तक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के साथ ऑनलाइन गेमिंग भारत में समग्र डिजिटल नवाचार और अर्थव्यवस्था इकोसिस्टम का एक हिस्सा है।

इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए नवाचार, विकास और निवेश के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट-अप स्थापित किए जा रहे हैं।

दिनांक 23.12.2022 के भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) (तीन सौ सत्तरवां संशोधन) नियमावली,2022 अनुसार "ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामले" इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को आबंटित किए गए हैं और कुछ महीनों की अवधि में, व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद, केंद्र सरकार ने अनुमत ऑनलाइन गेम को विनिर्धारित और विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा और गार्डरेल बनाई है।

दिनांक 6.4.2023 को केंद्र सरकार ने अनुमत ऑनलाइन गेम को परिभाषित और विनियमित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ("आईटी नियम, 2021")

में संशोधन को अधिसूचित किया है। इस ढांचे के तहत केवल ऐसे ऑनलाइन गेम को भारतीय साइबरस्पेस में एक्सेस करने की अनुमति दी जा सकती है, जो परिणाम पर दांव लगाने से मुक्त हैं और उपयोगकर्ता को नुकसान और लत का कारण नहीं बनते हैं।

जहां तक ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व का सवाल है, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त अधिनियम 2023 के जरिये, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में एक अलग धारा 115 बीबीजे (ऑनलाइन गेम से जीत पर कर के संबंध में) शामिल की गई है जिसमें यह प्रावधान है कि जहां एक निर्धारिती की कुल आय में किसी भी ऑनलाइन गेम से जीत के माध्यम से कोई आय शामिल है, देय आयकर निम्न का कुल योग होगा: -

i) पिछले वर्ष के दौरान ऐसे ऑनलाइन गेम से निवल जीत पर निर्धारित आयकर की राशि, निर्धारित तरीके से गणना की गई तीस प्रतिशत की दर से; और

ii) आयकर की वह राशि जिस पर निर्धारिती से प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय ऊपर उल्लिखित निवल जीत से कम हो जाती।

अधिनियम की धारा 115 बीबीजे दिनांक 01.04.2023 से लागू होती है और तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होती है।

वित्त अधिनियम 2023 के जरिए, एक अलग धारा 194बीए (ऑनलाइन गेम से जीत के संबंध में) भी अधिनियम में 01.04.2023 से शामिल की गई थी ताकि ऑनलाइन गेम से "निवल जीत" पर तीस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती प्रदान की जा सके।

केंद्र सरकार ने अधिसूचना जी.एस.आर. 379(ई) संख्या 28/2023 दिनांकित 22.05.2023, के माध्यम से आयकर नियमावली,1962 में नियम 133 भी निर्धारित किया है जो "निवल जीत" की गणना के लिए सूत्र बताता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 22.05.2023 के 2023 का परिपत्र संख्या 5 जारी किया है जो "निवल जीत" पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान करता है । उपरोक्त नियम और परिपत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए आयकर लगाने में निश्चितता है जो व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देगा और उद्योग को इसके विकास में मदद करेगा।
ऑनलाइन गेम से जीत पर तीस प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाता है, जो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, रेसेस सहित हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम और किसी भी प्रकार के अन्य गेम या किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी से जीत पर आयकर की समान दर है। इसके अलावा, ऑनलाइन गेम के लिए कर ,उपयोगकर्ता खाते में "निवल जीत" पर है, जिसकी गणना वर्ष के दौरान सभी जीत (नुकसान सहित) को एकत्रित करने के बाद की जाती है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आगे बताया है कि जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल हैं। जीएसटी परिषद ने कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों का एक समूह स्थापित किया था,

जिसकी रिपोर्ट जीएसटी परिषद के समक्ष रखी गई थी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, दिनांक11 जुलाई, 2023 को आयोजित 50वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति किए गए कार्रवाई योग्य दावों पर 28% की जीएसटी दर लगाई जाएगी।
2019 के बाद से निवेश, प्रत्यक्ष उद्योग राजस्व, इन-ऐप खरीदारी और अन्य राजस्व के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के जरिये उत्पन्न कुल राजस्व के विवरण के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन गेम से जीत पर कर से संबंधित धारा 115बीबीजे को इस अधिनियम में शामिल किया गया है जो दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी है और तदनुसार मूल्यांकन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होगा। मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ आदि के साथ-साथ ऑनलाइन गेम से जीत पर अधिनियम की धारा 115बीबी के तहत कर लगाया जाना था। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से आयकर के लिए अलग डेटा उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा, ऑनलाइन गेम से "निवल जीत" पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित धारा 194बीए को 01.04.2023 से अधिनियम में शामिल किया गया है। 01.04.2023 से पहले की समय अवधि के लिए, ऑनलाइन गेम से जीत पर स्रोत पर कर की कटौती अधिनियम की धारा 194बी के तहत की गई थी जो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेलियों इत्यादि पर भी लागू होती है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए स्रोत पर कर कटौती के लिए अलग से डेटा उपलब्ध नहीं है।

****